राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2103/2013/जोधपुर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
वृत्त–सी, जोधपुर ...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मित्तल स्टील मैन्यूफैक्चरिंग,
61–ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.10.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 48/सीएसटी/जेयूसी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत सी, जोधपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2009–10 हेतु पारित आदेश दिनांक 29.03.2012 द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत कायम की गई मांग राशि कर रू 34,826/– एवं ब्याज रू 9,403/– कुल मांग राशि रू 44,229/– को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील स्वीकार करते हुये आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज अपास्त किया है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवसायी स्टील पाटा पट्टी का निर्माता व विक्रेता है। व्यवसायी के वित्तीय वर्ष 2009–10 के प्रथम तिमाही के कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.03.2012 में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत 'सी' फार्म में से मै. मरकरी एन्टरप्राइजेज से संबंधित सी फार्म को अस्वीकार करते हुए "केन्द्रीय अधिनियम 1956" की धारा 8(4) की पालना नहीं मानते हुए की गयी बिक्री रू 9,95,036/– पर अंतर कर रू 34,826/– एवं ब्याज रू 9,403/– आरोपित किया गया। प्रकरण में 'सी' फ़ार्म की सत्यता की जांच के दौरान महाराष्ट्र बिक्री कर विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार मै0 मरकरी एन्टरप्राइजेज का पंजीयन दिनांक 21.09.2008 से निरस्त किया जाने के कारण उपरोक्त 'सी' फार्म अविधिक माना है। अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2013 द्वारा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए कर व ब्याज अपास्त किया है जिसके विरूद्व राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवसायी द्वारा बोगस 'सी' फार्म जो अस्तित्व में ही नहीं थे, उन्हे स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी ने विधिक त्रुटि की है। इन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक व्यवहारी प्रत्यर्थी ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा अपने सामान्य कारोबार के दौरान महाराष्ट्र की पंजीकृत फर्म मैसर्स मरकरी एन्टरप्राइजेज को जिस माल का विक्रय किया गया था उसके संबंध में क्रेता व्यवसायी द्वारा अनिवार्य घोषणा प्रपत्र 'सी' फार्म विधिवत रूप से अपीलार्थी को जारी किया हुआ था। क्रेता फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 21.09.2008 से निरस्त किया है तथा उनके द्वारा जारी 'सी' फार्मस् भी निरस्त किये गये है एवं इस आधार पर उन घोषणा पत्रों को अवैध माना गया है। विक्रय व्यवहार के समय क्रेता फर्म पंजीकृत थी एवं माल को प्रेषित करने एवं भुगतान प्राप्त करने को भी कर निर्धारण अधिकारी ने सत्यापित माना है। व्यवहारी द्वारा विधिसम्मत एवं वास्तविक संव्यवहार के जरिये माल का विक्रय पंजीकृत व्यवहारी को किया गया है। मुम्बई के बिक्री कर विभाग द्वारा क्रेता फर्म मै. मरकरी एन्टरप्राइजेज का पंजीयन निरस्तीकरण दिनांक 06.09.2010 को भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया है। यदि क्रेता फर्म का पंजीयन उसकी किसी विधिक त्रुटि के कारण भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया जाता है तो इस आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी के संव्यवहार को अविधिक नहीं ठहराया जा सकता। इन्होंने अपीलीय अधिकारी का निर्णय यथावत रखने एवं अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरण में मुम्बई की फर्म मै. मरकरी एन्टरप्राइजेज टिन 27450698246सी जो पंजीकृत फर्म थी, द्वारा जोधपुर के उक्त व्यवहारी से व्यवसाय करते हुए वर्ष 2009–10 में माल की खरीद की गयी थी तथा वर्ष 2009–10 में इस अन्तर्राज्यीय खरीद में रियायती कर दर प्राप्त करने के लिए अनिवार्य 'सी' फार्म समयावधि में मुम्बई के बिक्रीकर विभाग से प्रमाणित 'सी' फार्म प्राप्त कर प्रत्यर्थी व्यवहारी को भेजे गए थे। इस तरह वर्ष 2009–10 के संव्यवहारों की पूर्णतया प्राप्त हो चुकी थी। वर्ष 2009–10 में बिक्रीकर विभाग, मुम्बई द्वारा मै. मरकरी एन्टरप्राइजेज का पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 06.09.2010 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। आदेश में निरस्तीकरण भूतलक्षी प्रभाव से किया गया। मै. मरकरी एन्टरप्राइजेज के पंजीयन निरस्तीकरण आदेश में, निरस्त करने का आधार मै. मरकरी एन्टरप्राइजेज द्वारा यह लिखकर देना बताया गया कि उक्त फर्म ने कोई व्यापार नहीं किया। इस निरस्तीकरण आदेश में यह उल्लेख भी किया गया कि "चूंकि मै. मरकरी एन्टरप्राइजेज को

लगातार.....3

03.03.2009 से ही अपंजीकृत कर दिया गया है अतः इस फर्म को जारी 'सी' फार्म (जिसे आदेश में नम्बर एवं संव्यवहार की राशि सहित प्रदर्शित किया है) का निरस्त करने एवं विक्रेता व्यवसायी को इन 'सी' फार्म का लाभ अधिनियम 1956 की धारा 8(4) के तहत प्राप्त नहीं होने का भी आदेश दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रेता का पंजीयन भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त होने के आधार पर व्यवहारी के 'सी' फार्म को अविधिक माना जाकर अस्वीकार कर उनको रियायती कर दर 0.5 प्रतिशत का लाभ अधिनियम की धारा 8(1) में प्रदान नहीं किया एवं 3.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया गया है।

8. विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी व क्रेता मै. मरकरी एन्टरप्राइजेज के बीच किए गए संव्यवहार को संदिग्ध नहीं माना है। क्रेता व्यवहारी के 'सी' फार्म भी विधिवत जारी थे। व्यवहारी द्वारा सारे विक्रय वास्तविक रूप से किये गये है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन विक्रय के आधार पर ही कर निर्धारण किया है। क्रेता एवं विक्रेता के मध्य हुए संव्यवहार के पश्चात् भूतलक्षी प्रभाव से पंजीयन निरस्त करने एवं विधिवत जारी 'सी' फार्म को निरस्त करने के आधार पर विक्रेता व्यवहारी द्वारा प्राप्त 'सी' फार्म को इस आधार पर अविधिक नहीं माना जा सकता कि इन्हें भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अपीलीय अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय M/s Suresh Trading Company V/s State of Maharashtra (1981)48 STC 207 आदि के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर व ब्याज अपास्त कर अपील स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है जिससे इस निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य